समाचार वाणी
खबर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

जहानाबाद मे लेंवी के लिए शिक्षक पर जानलेवा हमला, 5 लाख रुपये नहीं देने पर पूरे परिवार को धमकी

RANJEET KUMAR | Published on 17 Aug 2026

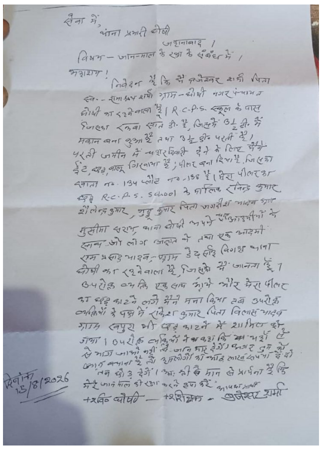
सेवा में,
थाना प्रभारी घोसी
जहानाबाद ।
विषय – जान-माल के रक्षा के संबंध में ।
महाशय !
निवेदन है कि मैं ब्रजेश्वर शर्मा पिता स्व.- रामाश्रय शर्मा ग्राम-घोसी नगर पंचायत घोसी का रहनेवाला हूँ। R.C.P.S. स्कूल के पास जिसका रकबा सात डी. है, जिसमें 3½ डी. में मकान बना हुआ है तथा 3½ डी. परती है। परती जमीन में चहारदिवारी देने के लिए मैंने ईंट, छड़, बालू गिरवाया है; पीलर बना दिया है। जिसका खाता नं. 134 प्लॉट नं.-138 है। मेरा पीलर का [illegible] R.C.P.S. School के मालिक रविन्द्र कुमार शैलेन्द्र कुमार, गुड्डू कुमार पिता जगदीश यादव ग्राम मुसीमा सराय, थाना घोसी अपने [illegible] आदमियों के साथ जो लोग अज्ञात थे तथा एक आदमी राम प्रसाद यादव, ग्राम [illegible] थाना घोसी का रहनेवाला है, जिसको मैं जानता हूँ। उपरोक्त व्यक्ति एक साथ आये और मेरा पीलर का छड़ काटने लगे मैंने मना किया तब उपरोक्त व्यक्तियों के पक्ष में राकेश कुमार पिता विलास यादव ग्राम [illegible] भी छड़ काटने में शामिल हो गया। उपरोक्त व्यक्तियों ने कहा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान मार देंगे। अगर तुम को जान बचाना है तो हमलोगों को पाँच लाख रुपया दे दो तब छोड़ देंगे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे जान माल की रक्षा करने की कृपा करें।
आपका विश्वासी
दिनांक 15/8/2026
[illegible] घोसी — शिक्षक - ब्रजेश्वर शर्मा

रणजीत कुमार | जहानाबाद, बिहार | समाचार वाणी न्यूज़

बिहार के **जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र मे घंर निर्माण करा रहे एक शिक्षक से कथित तौर पर 5 लाख रुपये लेवी की मांग और जानलेवा हमले** का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि लेवी की रकम नहीं देने पर असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

घटना **इसलामपुर रोड** की बताई जा रही है, जहां शिक्षक अपने घर का निर्माण कार्य करा रहे थे।

5 लाख रुपये लेवी मांगने का आरोप

पीड़ित शिक्षक **ब्रजेश्वर शर्मा** के अनुसार, वह अपने घर का निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी दौरान दर्जनों लोगों ने कथित तौर पर वहां पहुंचकर उनसे **5 लाख रुपये लेवी** की मांग की।

शिक्षक का आरोप है कि रकम देने से इनकार करने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और जान से मारने का प्रयास किया।

निर्माणाधीन पिलर के लोहे के छड़ काटने का आरोप

पीड़ित के मुताबिक, हमलावरों ने निर्माणाधीन पिलर में लगाए गए **लोहे के छड़ को काटना शुरू कर दिया**। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई।

आरोप है कि छड़ काटने से रोकने पर महिलाओं के साथ भी गाली-गलौज की गई और पिस्तौल दिखाकर गोली मारने की धमकी दी गई।

घटना के बाद शिक्षक का पूरा परिवार दहशत में बताया जा रहा है।

112 की टीम को दी सूचना

पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना **112 की पुलिस टीम** को दी। शिकायत के अनुसार, पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें 112 की टीम से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने **घोसी थाना मे लिखित शिकायत** देकर मामले में कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई।

पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

घटना को लेकर घोसी थानाध्यक्ष ने बताया कि **लिखित शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।**

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और मामले की जांच को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

घटना की पड़ताल करने पहुंचे पत्रकार से भी दुर्व्यवहार का आरोप

मामले की पड़ताल करने गए एक पत्रकार के साथ भी कथित तौर पर अपराधियों द्वारा **अमानवीय व्यवहार** किए जाने की बात सामने आई है।

घटना के बाद इलाके में भय और तनाव का माहौल बताया जा रहा है। अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर हैं कि मामले में आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है।

जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र मे शिक्षक से कथित तौर पर 5 लाख रुपये लेवी मांगने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षक ब्रजेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने निर्माणाधीन मकान के लोहे के छड़ काटे, मारपीट की और परिवार की महिलाओं को भी धमकाया। घटना की लिखित शिकायत घोसी थाना में दी गई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.